पत्र संख्या -चे0पो0-25-क-परिपत्र/अवमूल्यन /2009 // 0910027 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(चेक पोस्ट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 29 जून-2009

समस्त

जोनल एडिशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/ अपील)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य पालक/ वि0अनु0शा0/अपील/ उ0न्या0का0 /सर्वो0न्या0का0)

डिप्टी कमिश्नर /असि0कमि0/ वाणिज्य कर अधिकारी ,

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

विषय :- 50 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन पाये जाने पर माल के अभिग्रहण के सम्बंध में ।

Key word 1-24-EVISION / TAX EVISION

आप अवगत है कि दिनांक 1-1-08 को व्यापार कर अधिनियम के स्थान पर वाणिज्य कर लागू हो जाने पर अब बिक्री के प्रत्येक स्तर पर उसके वैल्यू एडीशन पर कर मिलना है । ऐसे मामले प्रकाश में आये है जिनमें वास्तविक मूल्य से काफी कम मूल्य खरीद/ बिक्री के बिलो में दिखाते हुये करापवंचन किया जाता है । इसे दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 497/9 दि0 1-09-1(क)7-2009 दिनांक 28-2-09 से मूल अधिनियम की धारा 48 में निम्न संशोधन किये गये है :-

मूल अधिनियम की धारा 48 में,- धारा 48 का संशोधन

(क)उप धारा (1)के खण्ड-2 के पश्चात निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा ,अर्थात

" (तीन) जो किसी कारोबारी स्तर गाड़ी ,जलयान या किसी भवन में या स्थान पर पाये जाये और ऐसे रखे गये माल से सम्बंधित यथास्थिति कर बीजक या विक्रय बीजक या माल के मूल्य से सम्बंधित अन्य किसी अभिलेख में ,स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां पर उक्त सम्व्यवहार हुआ है ने सुसंगत समय पर प्रचलित माल के मूल्य से 50 प्रतिशत से अधिक सीमा तक अवमूल्यन करापवंचन की मंशा से किया गया है ।

(ख) उपधारा (5) में शब्द " उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों,रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है । "

के स्थान पर शब्द " उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों,रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है या स्थानीय बाजार क्षेत्र,जहॉ उक्त संव्यवहार हुआ है,में सुसंगत समय पर प्रचलित माल के मूल्य से करापवंचन की मंशा से पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक का अवमूल्यन किया गया हो " रख दिये जायेंगे । "

अत: उक्त प्रकार की गयी व्यवस्था के अनुसार 50 (पचास) प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन पाये जाने पर माल का अभिग्रहण किया जा सकता है ।

प्राय: सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुख वस्तुओं के बाजार भाव प्रकाशित होते हैं । इन समाचार पत्रों में प्रकाशित बाजार भाव एवं स्थानीय / प्रचलित बाजार भाव को दृष्टिगत रखते हुए वस्तुओं के वास्तविक मूल्य का आकलन कर बिलों में प्रदर्शित मूल्य में 50 प्रतिशत से अधिक के अवमूल्यन को प्रकाश में लाकर कार्यवाही की जा सकती है जिससे इस प्रक्रिया के माध्यम से किये जा रहे करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके ।

अत: निर्देशित किया जाता है कि उक्त संशोधित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन किये जाने वाले माल से संबंधित बिलों में अथवा गोदाम / व्यापार स्थल आदि पर रखे माल से संबंधित बिलों में माल के वास्तविक मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक का अवमूल्यन पाये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

कृपया निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

ह0-
(अनिल संत)
कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0 व दिनॉक-उक्त।

<u>प्रतिलिपि:: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :-

1- प्रमुख सचिव,संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय लखनऊ।
2- अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश।
4- संयुक निदेशक,प्रशिक्षण वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ।
5- समस्त अनुभाग / अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय,लखनऊ।
6- चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियॉ अतिरिकत।

ह0-
(वी0पी0श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(चे0पो0)वाणिज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।